PLUTUS IAS

PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

09/09/2024 से 15/09/2024 तक

THE HINDU

The Indian EXPRESS

pib
पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

कार्यालय

बेसमेंट 8, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6,
नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास
दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. रणनीतिक तालमेल : 21वीं सदी में भारत- खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) संबंधों का विस्तार 1
2. डिजिटल चालान प्रणाली: भारत की ई-गवर्नेंस का नया अध्याय 4
3. जीएसटी परिषद : सहकारी संघवाद की धुरी 8
4. भारत : प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे आगे 11
5. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT) का बहुभाषी पोर्टल : तकनीकी संवाद का नया युग 15
6. महिलाओं में होने वाले ओवेरियन कैंसर : लक्षण, निदान और उपचार 18

PLUTUS IAS

रणनीतिक तालमेल : 21वीं सदी में भारत- खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) संबंधों का विस्तार

खबरों में क्यों?

- हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर 8 और 9 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाले भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (India-Gulf Cooperation Council) की बैठक में भाग लेने के लिए सऊदी अरब पहुंचे।
- सऊदी अरब की राजधानी रियाद में प्रोटोकॉल मामलों के उप मंत्री अब्दुल मजीद अल स्मारी ने उनका स्वागत किया।
- एस. जयशंकर इस यात्रा के दौरान गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे।
- हाल के वर्षों में GCC भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरा है और इसके साथ – ही – साथ भारत के राजनीतिक, व्यापारिक और ऊर्जा सहयोग जैसे क्षेत्रों में अत्यंत गहरे संबंध हैं।

क्या है खाड़ी सहयोग परिषद ?

- खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council – GCC) एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी।
- यह संगठन मुख्यतः उन देशों से संबंधित है जिनकी सीमाएँ फारस की खाड़ी से लगती हैं।
- वर्तमान समय में खाड़ी सहयोग परिषद में कुल 6 सदस्य देश शामिल हैं। जिसमें मुख्य रूप से सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, बहरीन और ओमान शामिल है।
- इसका मुख्यालय सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित है।
- हाल के वर्षों में, यमन, जॉर्डन, और मोरक्को को GCC में शामिल करने की मांग उठती रही है, लेकिन अभी तक ये देश खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य नहीं बने हैं।

खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council – GCC) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य :

खाड़ी सहयोग परिषद के चार्टर में इसे एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रीय संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है। **इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –**

- **वित्तीय और आर्थिक समन्वय की स्थापना करना :** सदस्य देशों के बीच वित्त, अर्थव्यवस्था, सीमा शुल्क, व्यापार, पर्यटन, प्रशासन और कानून में समान नियम और नीतियों की स्थापना करना।
- **वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग :** कृषि, खनन, उद्योग, पशुपालन और जल संसाधनों के क्षेत्रों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना।
- **सदस्य देशों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना :** सदस्य देशों के लिए एक एकीकृत सैन्य बल की स्थापना करना जिससे सदस्य देशों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों की स्थापना और उन्हें प्रोत्साहित करना :** इसका एक प्रमुख उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों की स्थापना और उन्हें प्रोत्साहित करना है , ताकि इन सदस्य देशों के बीच ज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों से प्राप्त ज्ञान का आपस में उपयोग किया जा सके।
- **निजी क्षेत्र का सहयोग :** GCC सदस्य देशों के बीच के संयुक्त उद्यमों के माध्यम से निजी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ये तेजी से गति कर सके।
- इन उद्देश्यों के माध्यम से, GCC सदस्य देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक एकता को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय स्थिरता को सुनिश्चित करने की कोशिश करता है।

खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council) का संरचनात्मक स्वरूप :

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) की संरचना तीन मुख्य भागों में विभाजित है। जो निम्नलिखित है –

1. **सुप्रीम काउंसिल :** यह परिषद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसमें सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। यह साल में एक बार मिलती है और अपने निर्णय बहुमत से लेती है।

2. **मिनिस्टीरियल काउंसिल :** इसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। यह काउंसिल हर तीन महीने में एक बार मिलती है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करती है

3. **सेक्रेटेरिएट जनरल :** यह इकाई बजट तैयार करने से लेकर विभिन्न रिपोर्टों को संकलित करने का कार्य करती है। इसके अलावा, यह सदस्य देशों के बीच लिए गए सभी निर्णयों को लागू करने में भी मदद करती है। इस प्रकार, GCC की संरचना और कार्यशैली इसे एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है।

भारत के लिए खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) का महत्त्व :

- भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग और सांस्कृतिक क्षेत्र में अत्यंत गहरे संबंध हैं। खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों में करीब 8.9 मिलियन भारतीय प्रवासी रहते हैं।

आर्थिक कारण :

- **तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था :** खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देश दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। इसके सदस्य देशों की कुल अर्थव्यवस्था 1.638 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है।

- **ऊर्जा आपूर्ति :** GCC देशों का भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के कुल क्रूड ऑयल का 34 प्रतिशत हिस्सा GCC देशों से आता है, जो भारत के ऊर्जा स्रोतों की विविधता और स्थिरता को सुनिश्चित करता है।

- **व्यापारिक संबंध :** वित्तीय वर्ष 2022-23 में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ भारत का व्यापार, कुल व्यापार का 15.8% था। 2020-21 में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 87.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जो 2023-24 में 161.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

- **निर्यात और आयात में आपसी हिस्सेदारी :** भारत के कुल निर्यात में GCC देशों की हिस्सेदारी 11% से ज्यादा है, जबकि कुल आयात में यह हिस्सेदारी करीब 18% है।

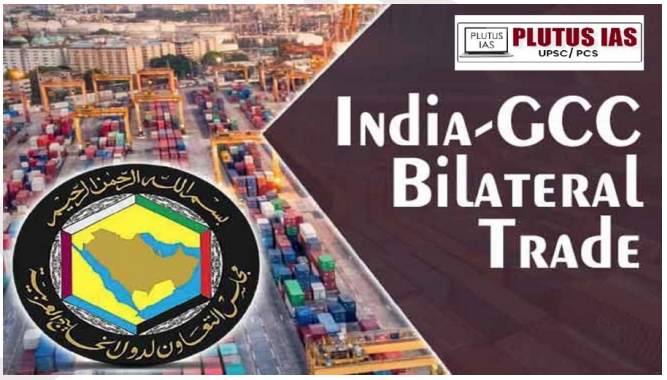

सामरिक कारण :

- **भौगोलिक स्थिति :** ओमान पश्चिमी हिंद महासागर तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करता है, जबकि ईरान (जो GCC का सदस्य नहीं है) अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने का मार्ग उपलब्ध कराता है।

- **क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक समर्थन :** GCC के सदस्य देश क्षेत्रीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का रुख भारत के सामरिक और राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के जम्मू और कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर इस्लामिक देशों में विभाजन देखने को मिलता है। तुर्की और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ रुख अपनाया है, जबकि UAE ने भारत के महत्व त्वपूर्ण निर्णयों पर सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारतीय निर्णय पर GCC देशों का दृष्टिकोण सकारात्मक रहा है, जो भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्व-पूर्ण है।

सांस्कृतिक और सामाजिक महत्त्व :

- **प्रवासी भारतीय समुदाय का निवास करना :** खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य देशों में लगभग 8.9 मिलियन प्रवासी भारतीय निवास करते हैं, जो भारत और GCC के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करते हैं। ये प्रवासी भारतीय केवल आर्थिक योगदान ही नहीं करते बल्कि दोनों पक्षों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देते हैं।
- **सांस्कृतिक सहयोग :** भारत और GCC देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संस्कृति, खाद्य पदार्थ और कला GCC देशों में बहुत लोथ कप्रिय हैं, जो भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य देशों के बीच के आपसी समझ और सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं।

निष्कर्ष:

- भारत के लिए खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) का महत्त्व आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यण धिक महत्वपूर्ण है। GCC देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध न केवल ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक लाभ प्रदान करते हैं, बल्कि सामरिक और क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार, GCC के साथ भारत के संबंधों को सुदृढ़ और स्थिर बनाए रखना दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। अतः GCC के साथ मजबूत और स्थिर संबंध भारत के लिए आर्थिक विकास, सामरिक सुरक्षा और सांस्कृतिक समृद्धि को सुनिश्चित करने में सहायक है।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) का सदस्य देश नहीं हैं?

1. ईरान
2. कतर
3. ओमान
4. यमन

5. इराक

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करें:

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 4

C. केवल 1, 3 और 4

D. केवल 1, 4 और 5

उत्तर – D

व्याख्या :

- वर्ष 1981 में हस्ताक्षरित खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के चार्टर के अनुसार, खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) फारस की खाड़ी से घिरे देशो का एक क्षेत्रीय समूह है। जिसके सदस्य देश सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन है और इसका मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद में स्थित है। जबकि इराक, ईरान और यमन खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य देश नहीं हैं।
- सऊदी अरब और ओमान एक पूर्ण राजतंत्र देश है, वहीं कुवैत, कतर और बहरीन संवैधानिक राजतंत्र एवं संयुक्त अरब अमीरात एक संघीय राजतंत्र है।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वर्तमान में भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंध केवल तेल व्यापार तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि हाल के वर्षों में कई क्षेत्रों में इनका विस्तार हुआ है। चर्चा कीजिए कि किन मुद्दों के कारण इनके आपसी संबंधों को चुनौती मिल रही है, और इन मुद्दों से निपटने की तत्काल आवेश्यकता क्यों है ताकि इनके संबंधों को सुचारू और स्वस्थ बनाया जा सके? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

डिजिटल चालान प्रणाली: भारत की ई-गवर्नेंस का नया अध्याय

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क सुरक्षा के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरणों जैसे कि स्पीड कैमरा, सीसीटीवी और स्पीड गन के उपयोग को बढ़ावा देने की सख्त आवश्यकता पर जोर दिया है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे देश के राजमार्गों और शहरी सड़कों पर सड़क सुरक्षा के लिए ऐसी तकनीकों के उपयोग को अनिवार्य बनाने वाले कानूनी प्रावधानों को लागू करें।
- यह निर्देश मोटर वाहन (MV) अधिनियम, 1988 की धारा 136A के अंतर्गत आता है, जिसमें सड़क सुरक्षा के लिए इलेम क्ट्रॉनिक निगरानी को अनिवार्य करने के उद्देश्य से 2019 में संशोधन किया गया था।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सरकारों को धारा 136A के अनुपालन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 167A के अनुपालन को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।
- यह नियम विभिन्न यातायात उल्लंघनों जैसे कि सड़क पर अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाना , अनाधिकृत रूप से पार्किंग करना और सड़कों पर यात्रा करने के दौरान सुरक्षात्मक उपकरण न पहनने के मामलों में चालान (दंड) जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों के उपयोग के दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित इस कदम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और यातायात नियमों के उल्लंघन को कम करना है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके।

मोटर यान अधिनियम, 1988 क्या है ?

- मोटर यान अधिनियम, 1988 भारतीय संसद द्वारा पारित एक प्रमुख विधेयक है, जो सड़क यातायात और मोटर वाहनों के नियमन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ और इसने भारत के पुराने मोटर यान अधिनियम, 1939 की जगह ली। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सड़क परिवहन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रमुख प्रावधान :

1. **ड्राइवरों और कंडक्टरों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया और मानदंड निर्धारित :** इस अधिनियम के अंतर्गत ड्राइवरों और कंडक्टरों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया और मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इससे सड़क पर वाहनों के संचालन के लिए आवश्यक योग्यता और कौशल सुनिश्चित किया जाता है।

2. **सभी मोटर वाहनों के पंजीकरण की अनिवार्यता :** इस अधिनियम में सभी मोटर वाहनों के पंजीकरण की अनिवार्यता को स्पष्ट किया गया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों का प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि सभी वाहन कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हों।

3. **विशेष परमिट और यातायात नियमन का प्रावधान :** यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के परमिट जैसे कि सार्वजनिक परिवहन, मालवाहन, और विशेष परमिट के प्रावधान करता है, जो सड़क पर यातायात के नियमन और नियंत्रण में सहायक होते हैं।

4. **राज्य परिवहन उपक्रमों के प्रावधान :** इस अधिनियम के तहत राज्य परिवहन उपक्रमों के संचालन और प्रबंधन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करते हैं।

5. **यातायात विनियमन का प्रावधान :** सड़क पर यातायात नियमों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं, जिससे सड़क पर सुव्यवस्थित और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित हो सके।

6. **बीमा और दायित्व से संबंधित नियमों का प्रावधान :** इस अधिनियम के अंतर्गत सभी मोटर वाहनों के लिए बीमा का प्रावधान अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त, दुर्घटनाओं के मामलों में दायित्व और मुआवजे से संबंधित नियम भी निर्धारित किए गए हैं।

7. **दंड और जुर्माना का प्रावधान :** यातायात नियमों के उल्लंघन पर दंड और जुर्माने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है, जिससे भारत में यातायात कानूनों का पालन सुनिश्चित हो सके और सड़क पर यातायात नियमों के प्रति अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके।

उद्देश्य :

- मोटर यान अधिनियम, 1988 का प्राथमिक उद्देश्य सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना, यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने को सुनिश्चित करना है। इस मोटर यान अधिनियम के माध्यम से भारत में एक सुरक्षित और सुचारू सड़क परिवहन प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 क्या है ?

- मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019, भारतीय सड़क

परिवहन और यातायात नियमों में महत्वपूर्ण सुधार करने के उद्देश्य से 1 सितंबर, 2019 को लागू किया गया। **इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं –**

1. **गोल्डन ऑवर को परिभाषित करना :** इस अधिनियम ने 'गोल्डन ऑवर' को परिभाषित किया है, जो दुर्घटना के एक घंटे की अवधि को संदर्भित करता है। इस अवधि के दौरान त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करने से मृत्यु को टाला जा सकता है। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करना है।

2. **हिट एंड रन मामलों में मुआवजे में वृद्धि :** इस अधिनियम ने हिट एंड रन मामलों में मुआवजे की राशि को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। जिसमें मृत्यु की स्थिति में मुआवजा 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है और गंभीर चोट की स्थिति में मुआवजा 12,500 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है।

3. **मोटर वाहन दुर्घटना कोष स्थापित करने की आवश्यकता :** इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार को सभी सड़क उपयोगकर्त्ताओं को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष स्थापित करने की आवश्यकता है। यह कोष सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।

4. **वाहन की वापसी का प्रावधान :** यह अधिनियम केंद्र सरकार को उन वाहनों को वापस लेने का अधिकार देता है जिनमें तकनीकी खराबी के कारण पर्यावरण, चालक या अन्य सड़क उपयोगकर्त्ताओं को संभावित नुकसान हो सकता है।

5. **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (National Road Safety Board) की स्थापना का प्रावधान :** अधिनियम में एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसे केंद्र सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से स्थापित करेगी। यह बोर्ड सड़क सुरक्षा नीतियों की निगरानी और कार्यान्वयन में सहायता करेगा।

6. **एग्रीगेटर्स की परिभाषा को सुनिश्चित करना :** इस अधिनियम में एग्रीगेटर्स को डिजिटल मध्यस्थों या बाजार स्थानों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनका उपयोग यात्री परिवहन उद्देश्यों के लिए ड्राइवर से जुड़ने के लिए कर सकते हैं। इन एग्रीगेटर्स को राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

7. **दंड में वृद्धि :** इस अधिनियम के तहत कई अपराधों के लिए दंड बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिए, शराब या मादक दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाने पर अधिकतम जुर्माना 2,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से, भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा, दुर्घटना मुआवजा और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कठोर उपाय अपनाते हुए सड़क परिवहन प्रणाली में सुधार करने का प्रयास किया गया है।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2022 :

- केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2022, पूरे भारत में 1 अप्रैल, 2022 से लागू किया जा चुका है।
- यह केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2022 दिल्ली उच्च न्यायालय के 8 जनवरी, 2021 के राजेश त्यागी बनाम जयबीर सिंह के केस पर न्यायालय के फैसले पर आधारित है।
- इन नियमों का उद्देश्य मोटर दुर्घटना दावों की शीघ्र जाँच और निर्णय के लिए एक नई प्रक्रिया स्थापित करना है।
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2022 के नियमों के तहत, सभी मोटर दुर्घटना दावों की जाँच और निर्णय के लिए छह महीने से एक वर्ष की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- इससे दावेदारों को दुर्घटना के एक वर्ष के भीतर मुआवज़ा प्राप्त करने की संभावनाएँ बढ़ गई हैं, जो पूर्ववर्ती मोटर वाहन नियम प्रक्रिया की तुलना में काफी तेज़ और प्रभावी है।
- इस प्रकार, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2022 ने मोटर दुर्घटना मुआवज़ा पाने की प्रक्रिया के न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हुए दावों के निपटारे की प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आगे की राह :

- डिजिटल चालान प्रणाली भारत में ई-गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह प्रणाली न केवल यातायात नियमों के उल्लंघन को नियंत्रित करने में मदद करती है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी अधिक पारदर्शी और कुशल बनाती है।

- डिजिटल चालान प्रणाली का उद्देश्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई करना और चालान प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से सरल बनाना है। यह प्रणाली नागरिकों को ऑनलाइन चालान भरने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।

डिजिटल चालान प्रणाली का महत्व :

डिजिटल चालान प्रणाली ने पारंपरिक कागजी चालान की तुलना में कई लाभ प्रदान किए हैं। जो निम्नलिखित है –

1. **पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी :** डिजिटल चालान प्रणाली से सरकारी लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ी है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हो गई है। यह प्रणाली कागजी दस्तावेज़ों की जगह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिकता देती है, जिससे किसी भी अनियमितता की संभावना कम हो जाती है।

2. **समय की बचत :** डिजिटल चालान प्रणाली के माध्यम से, नागरिक और व्यवसायी भुगतान और लेनदेन को तेजी से और सरलता से पूरा कर सकते हैं। यह लंबी कतारों और कागजी कार्यवाही से नागरिकों को मुक्ति प्रदान करता है।

3. **सुरक्षा और डेटा सटीकता :** डिजिटल प्रणाली में लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है और डेटा की सटीकता को बनाए रखा जाता है। इससे दस्तावेज़ों की हेराफेरी और खो जाने की समस्याएं हल होती हैं।

4. **दूरदराज के क्षेत्रों में भी नागरिकों को सरकारी सेवाओं की पहुँच प्रदान करना :** यह प्रणाली दूरदराज के क्षेत्रों में भी नागरिकों को सरकारी सेवाओं की पहुंच प्रदान करती है। इससे ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में भी सरकारी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

डिजिटल चालान प्रणाली के लाभ :

1. **पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी :** डिजिटल प्रणाली के माध्यम से लेनदेन को ट्रैक और रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिससे भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की संभावना कम होती है।

2. **समय और लागत की बचत :** यह प्रणाली कागजी प्रक्रियाओं और लंबी कतारों की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे समय और लागत की बचत होती है।

3. **सुरक्षा और सटीकता :** डिजिटल चालान प्रणाली डेटा की सुरक्षा और सटीकता को सुनिश्चित करती है, जिससे दस्तावेज़ों की हेराफेरी और खो जाने की समस्याएँ हल होती हैं।

4. **समेकित डेटा विश्लेषण :** केंद्रीकृत डेटा की मदद से सरकारी संस्थाएँ बेहतर डेटा विश्लेषण और नीति निर्माण कर सकती हैं।

भविष्य की राह: संभावनाएँ और चुनौतियाँ :

1. **तकनीकी अवसंरचना की कमी :** डिजिटल चालान प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मजबूत तकनीकी अवसंरचना की आवश्यकता है। अतः इसके सफल क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार किया जाना आवश्यक है।

2. **डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करना :** साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ डिजिटल प्रणाली के लिए एक बड़ी चिंता हैं। डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन्नत सुरक्षा उपायों और नियमित ऑडिट की आवश्यकता है।

3. **नागरिकों में जागरूकता की कमी :** भारत में सभी नागरिकों को डिजिटल चालान प्रणाली के उपयोग और लाभ के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए व्यापक जन जागरूकता और शिक्षा अभियान चलाना आवश्यक है।

4. **विधायन और नीतिगत सुधार :** भारत में डिजिटल चालान प्रणाली को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी विधायन और नीतिगत सुधार की आवश्यकता है। इसमें पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और तकनीकी समर्थन पर जोर दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष :

डिजिटल चालान प्रणाली भारत की ई-गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रणाली न केवल यातायात नियमों के उल्लंघन को नियंत्रित करने में मदद करती है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी अधिक पारदर्शी और कुशल बनाती है। इसके सफल कार्यान्वयन से भारत में ई-गवर्नेंस को एक नई दिशा मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्राप्त होंगी। अतः डिजिटल चालान प्रणाली भारत की ई-गवर्नेंस का नया अध्याय है, जो डिजिटल चालान प्रणाली: भारत की ई-गवर्नेंस के नए अध्याय की राह को और भी सशक्त और प्रभावी बनाएगा।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में यातायात नियमों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए।

1. गोल्डन ऑवर को परिभाषित करना।

2. एग्रीगेटर्स की परिभाषा को सुनिश्चित करना।
3. भारत में एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जाना।
4. हिट एंड रन के मामलों में मुआवजे में कमी लाना।

उपर्युक्त में से कौन सा तथ्य भारत में मोटर वाहन अधिनियम में शामिल नहीं है ?

1. केवल 1 और 4
2. केवल 2 और 3
3. केवल 3
4. केवल 4

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. डिजिटल चालान प्रणाली के लागू होने से भारत की ई-गवर्नेंस में क्या परिवर्तन आए हैं? चर्चा कीजिए कि भारत में डिजिटल चालान प्रणाली की कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ और उनसे निपटने के लिए सुझाए गए समाधान क्या हैं? (शब्द सीमा – 250 अंक -15)

जीएसटी परिषद : सहकारी संघवाद की धुरी

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 09 सितम्बर 2024 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई।
- इस बैठक में विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री, और अन्य राज्यों के वित्त मंत्री शामिल थे।
- नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की इस 54वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य जीएसटी प्रणाली को सरल और अधिक प्रभावी बनाना है।

54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में की गई मुख्य सिफारिशें :

जीएसटी दरों में बदलाव :

1. **नमकीन और स्वादिष्ट खाद्य उत्पाद :** नमकीन और स्वादिष्ट खाद्य उत्पादों पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% की जाएगी।
2. **कैंसर की दवाओं पर :** कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की जाएगी।
3. **धातु स्क्रैप पर :** अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को धातु स्क्रैप की आपूर्ति पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) लागू होगा। बी2बी आपूर्ति में 2% का टीडीएस लागू होगा।
4. **रेलवे के एयर कंडीशनिंग मशीनों पर :** रेलवे के एयर कंडी-शनिंग मशीनों पर जीएसटी दर 28% होगी।
5. **कार और मोटरसाइकिलों की सीटों पर :** कार और मोटर-साइकिलों की सीटों पर जीएसटी की दर 18% से बढ़ाकर 28% की जाएगी।

सेवाओं पर जीएसटी :

1. **जीवन और स्वास्थ्य बीमा :** जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर एक मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया जाएगा।
2. **हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रियों का परिवहन :** हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रियों के परिवहन पर 5% जीएसटी लागू होगी, जबकि हेलीकॉप्टर चार्टर पर 18% जीएसटी लागू रहेगा।
3. **उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम :** डीजीसीए द्वारा अनुमोदित उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जीएसटी के शुल्क से मुक्त होंगे।
4. **अनुसंधान संस्थानों और विकास सेवाएं :** सरकारी या अनु-संधान संस्थानों द्वारा अनुसंधान और विकास सेवाओं की आपूर्ति को छूट देने की सिफारिश की गई है।

व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उपाय :

1. **सीजीएसटी अधिनियम की धारा 128A :** वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सीजीएसटी अधिनि0 यम की धारा 73 के तहत कर मांगों से संबंधित ब्याज या जुर्माना से छूट की प्रक्रिया की सिफारिश की गई है।
2. **सीजीएसटी नियम 2017 में संशोधन :** सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 89 और 96 में संशोधन और निर्यात पर आई-जीएसटी रिफंड के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान किया जाएगा।

अन्य उपाय :

1. **बी2सी ई-इनवॉयसिंग :** व्यवसाय दक्षता और ग्राहक पार-दर्शिता में सुधार के लिए चयनित क्षेत्रों में बी2सी ई-इनवॉ-यसिंग के लिए पायलट कार्यक्रम ई-चालान शुरू करने की सिफारिश की गई है।
2. **चालान प्रबंधन प्रणाली और नए लेजर :** चालान प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) की शुरुआत और नई लेजर के लिए करदाताओं को 31 अक्टूबर, 2024 तक शुरुआती बैलेंस घोषित करने का अवसर दिया जाएगा। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए संबंधित परिपत्रों और अधिसूचनाओं के माध्यम से कानूनी रूप दिया जाएगा।

जीएसटी परिषद का संरचनात्मक स्वरुप और प्रमुख कार्य :

संरचनात्मक स्वरुप :

- जीएसटी परिषद (GST Council) भारतीय संविधान की धारा 279A के तहत गठित की गई है। जीएसटी परिषद भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली को संचालित और विनियमित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है।
- भारत में इसका गठन 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत किया गया था।
- वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली भारत में कराधान सुधार का एक प्रमुख पहल है, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था।
- यह परिषद भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच वस्तु और सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) के मामलों पर विचार विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए एक प्रमुख निकाय है। **इसका संरचनात्मक स्वरुप निम्नलिखित है –**
- **अध्यक्ष :** जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं।
- **सदस्य :** परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। केंद्रशासित प्रदेशों के लिए, उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- **विशेष प्रतिनिधि :** परिषद में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्र के वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव द्वारा किया जाता है।

- **समिति :** इस परिषद के अंतर्गत कुछ विशेष समितियाँ भी कार्य करती हैं जो जीएसटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सलाह देती हैं और अपना सुझाव प्रस्तुत करती हैं।

जीएसटी परिषद का प्रमुख कार्य :

1. **जीएसटी की दरों को निर्धारित करना और दरों की संरचनाओं की सिफारिश करना :** जीएसटी परिषद की प्रमुख जिम्मेदारी वास्तु और सेवाओं पर जीएसटी की दरों और संरचनाओं को निर्धारित करना है। यह विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरों की सिफारिश करती है ताकि पूरे भारत में एक समान कर व्यवस्था लागू हो सके।

2. **राजस्व आवंटन की समीक्षा करना :** यह परिषद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जीएसटी राजस्व का वितरण और आवंटन सुनिश्चित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि राज्यों को न्यायपूर्ण रूप से उनके कर का हिस्सा मिले।

3. **कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों पर निर्णय लेना :** जीएसटी परिषद जीएसटी कानून में आवश्यक संशोधनों और उससे अद्यतनों पर निर्णय करती है। यह जीएसटी कानून और नियमों के प्रवर्तन से संबंधित प्रशासनिक मुद्दों पर भी चर्चा करती है।

4. **कर से संबंधित विवादों का समाधान करना :** यह परिषद जीएसटी से संबंधित विवादों के समाधान में सहायता करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कर नीतियाँ पारदर्शी और निष्पक्ष हों।

5. **संविधान में संशोधन की सिफारिश करना :** परिषद आवश्यकतानुसार संविधान के संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है ताकि जीएसटी के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके।

6. **नियामक और कार्यान्वयन से संबंधित नियामक दिशा-निर्देश प्रदान करने के कार्य करना :** परिषद जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित नियामक दिशा-निर्देश प्रदान करती है और इससे जुड़े कार्यकारी मुद्दों पर निगरानी रखती है।

भारत में जीएसटी परिषद की बैठक से संबंधित आगे की राह :

जीएसटी दरों में तर्कसंगतता और संभावित संशोधन की जरूरत :

- **वर्तमान परिदृश्य :** हाल की बैठक में जीएसटी दरों में संशोधन की चर्चा की गई है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं पर दरों में कमी और विलासिता की वस्तुओं पर दरों में वृद्धि की गई है।

- **आगे की राह :** जीएसटी परिषद को दरों के संशोधन की प्रक्रिया को निरंतर निगरानी में रखना होगा और बाजार की स्थिति तथा उपभोक्ता मांग के आधार पर समय-समय पर समायोजन करना होगा। इससे कर प्रणाली को अधिक न्यायसंगत और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) प्रणाली में सुधार करना :

- **वर्तमान परिदृश्य :** ITC के नियमों में बदलाव के माध्यम से केवल उन वस्तुओं और सेवाओं पर क्रेडिट मिलेगा जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं।

- **आगे की राह :** जीएसटी परिषद को ITC प्रणाली के कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए सख्त मानक और प्रक्रियाएं विकसित करनी होंगी। यह कर चोरी को रोकने और प्रणाली की पारदर्शिता को बढ़ाने में सहायक होगा।

उन्नत और नई तकनीकों का उपयोग कर डिजिटल सुधार की ओर बढ़ना :

- **वर्तमान परिदृश्य :** केंद्र सरकार द्वारा उन्नत एवं नई तकनीकों और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर अनुपालन को सरल बनाने की योजना है।

- **आगे की राह :** जीएसटी परिषद को डिजिटल प्लेटफार्मों और तकनीकी सुधारों को तेज़ी से अपनाने और अपडेट रखने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों का विकास और स्थिरता सुनिश्चित करना होगा।

राजस्व सृजन और कर से संबंधित विवादों का समाधान करना :

- **वर्तमान परिदृश्य :** भारत में कर से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान के लिए नई प्रक्रियाएं और तंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

- **आगे की राह :** जीएसटी परिषद को विवाद समाधान के लिए सुलभ और प्रभावी तंत्रों की स्थापना करनी होगी। इसके अलावा, यह आवश्यक है कि परिषद राजस्व सृजन के लिए नीतियों को समय पर संशोधित करे ताकि कर अनुपालन को बढ़ावा मिले और व्यापारिक वातावरण को सुलभ बनाया जा सके।

राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करना :

- **वर्तमान परिदृश्य :** जीएसटी प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है।
- **आगे की राह :** जीएसटी परिषद को राज्यों के साथ बेहतर संवाद और समन्वय स्थापित करने की दिशा में काम करना होगा। इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति को सशक्त किया जा सकेगा और कर व्यवस्था में समानता और न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा।

निष्कर्ष :

- जीएसटी परिषद की आगामी दिशा और योजनाएं भारत की कराधान प्रणाली को सुधारने और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भारत में केंद्र सरकार को कर की दरों में तर्कसंगतता, ITC प्रणाली में सुधार, तकनीकी और डिजिटल स्तर पर सुधार, कर से संबंधित केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का समाधान करते हुए केंद्र-राज्य समन्वय जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर, जीएसटी परिषद को एक समग्र और प्रभावी कर प्रणाली की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। इन सुधारों का सफल कार्यान्वयन भारत में न केवल कराधान की पारदर्शिता और न्यायसंगतता को बढ़ाएगा, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता और विकास में भी योगदान देगा।

स्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं।
2. इस परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं।
3. इसमें केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
4. इसे भारतीय संविधान की धारा 279A के तहत गठित की गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. पिछले छह वर्षों में जीएसटी के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करते हुए चर्चा कीजिए कि भारत में जीएसटी परिषद जीएसटी कार्यान्वयन को और अधिक सुचारू और परेशानी-मुक्त बनाने के लिए क्या उपाय कर रही है? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत : प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे आगे

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन यह बताता है कि वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण में भारत का योगदान सबसे अधिक है।
- इस अध्ययन के अनुसार, विश्वभर में उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग 20 प्रतिशत (या एक-पाँचवाँ हिस्सा) भारत में उत्पन्न होता है।
- यह आंकड़ा भारत की वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित वर्तमान नीतियों की प्रभावशीलता पर महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करता है और इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारत में उच्च प्लास्टिक प्रदूषण के मुख्य कारण :

भारत में उच्च प्लास्टिक प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं –

- **खुले में प्लास्टिक अपशिष्ट का दहन :** भारत में हर साल लगभग 5.8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट/ कचरा को खुले में जलाया जाता है, जिससे प्रदूषण और विषैले पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों ही दृष्टिकोण से हानिकारक हैं।
- **तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण :** भारत में जनसंख्या और शहरीकरण के तेज विकास के कारण प्लास्टिक की खपत और अपशिष्ट उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे प्लास्टिक उत्पादों और पैकेजिंग की मांग में वृद्धि हो रही है, जिससे प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है।
- **अपशिष्ट संग्रहण आँकड़ों में विसंगतियाँ :** सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 95% अपशिष्ट का संग्रहण होता है, जबकि शोध से पता चलता है कि वास्तविक संग्रहण दर लगभग 81% है। इससे भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दक्षता में बड़े अंतर का पता चलता है।
- **अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना :** भारत का प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना अपशिष्ट की बड़ी मात्रा के प्रबंधन के लिये अपर्याप्त है, जिसमें सैनिटरी लैंडफिल की तुलना में अनियंत्रित डम्पिंग स्थल अधिक हैं, जो निम्न स्तरीय निपटान उपायों और प्रथाओं को दर्शाता है।
- **अपशिष्ट संग्रहण आँकड़ों में विसंगतियाँ :** भारत की आधिकारिक अपशिष्ट संग्रहण दर 95% बताई गई है, जबकि शोध से पता चलता है कि वास्तविक दर लगभग 81% है, जिससे प्रबंधन दक्षता में बहुत बड़े अंतर का पता चलता है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र पुनर्चक्रण :** भारत में बहुत सारा प्लास्टिक कचरा अनौपचारिक क्षेत्र में पुनर्चक्रित किया जाता है, जिसका आधिकारिक आंकड़ों में उल्लेख ही नहीं होता है। इससे भारत में प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित आंकड़ों का सही आकलन करना मुश्किल हो जाता है।

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन से जुड़े मुख्य मुद्दे :

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित मुख्य मुद्दे निम्नलिखित हैं –

पर्यावरणीय प्रभाव :

- **जलमार्गों की अवरुद्धता :** प्लास्टिक अपशिष्ट जलमार्गों को अवरुद्ध करता है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है और समुद्री प्रदूषण बढ़ता है। इससे समुद्री जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और प्लास्टिक जल में घुलकर समुद्री जीवन को हानि पहुँचाता है।
- **वायु प्रदूषण और श्वसन स्वास्थ्य को प्रभावित करना :** प्लास्टिक का दहन जहरीले प्रदूषकों को मुक्त करता है, जो वायु की गुणवत्ता को खराब करता है और श्वसन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य :

- **माइक्रोप्लास्टिक्स का जोखिम :** जल और खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक्स का प्रवेश दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है, जिससे मानव स्वास्थ्य के प्रति खतरा बढ़ता है।
- **रोगवाहकों का प्रसार :** प्लास्टिक अपशिष्ट रोगवाहकों के प्रजनन के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियाँ फैलने की संभावना बढ़ जाती है।

आर्थिक चुनौतियाँ :

- **वित्तीय नुकसान :** FICCI की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को वर्ष 2030 तक प्लास्टिक पैकेजिंग में प्रयुक्त 133 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की सामग्री का नुकसान हो सकता है।
- **ई-कॉमर्स और पैकेजिंग अपशिष्ट :** ई-कॉमर्स के द्रुत गति से विकास होने के कारण प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट में वृद्धि हुई है, जिनमें से अधिकांश को पुनर्चक्रित करना कठिन है।

विनियामक और प्रवर्तन चुनौतियाँ :

- **असंगत प्रवर्तन** : प्लास्टिक अपशिष्ट विनियमों का असंगत प्रवर्तन और विस्तारित निर्माता ज़िम्मेदारी प्रणाली से संबंधित मुद्दे अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन में बाधा डालते हैं।
- **वैश्विक योगदान** : भारत वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट में सबसे अधिक योगदान देने वाले देशों में से एक प्रमुख देश है।

कृषि में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण :

- **मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव :** कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग और अपर्याप्त अपशिष्ट जल शोधन के कारण मृदा में माइक्रोप्लास्टिक संचित हो जाता है, जिससे मृदा स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है।

तकनीकी और बुनियादी ढाँचा की कमी :

- **अपर्याप्त सुविधाएँ :** अपशिष्ट पृथक्करण और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी और उन्नत रीसाइक्लिंग तकनीक की कमी प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में बाधा डालती है। अपशिष्ट ट्रैकिंग की व्यापक कमी भी प्रबंधन प्रयासों को

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

जटिल बनाती है। इन समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए समग्र दृष्टिकोण, मजबूत विनियामक ढाँचा और तकनीकी नवाचार की आवश्यकता है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष :

प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन :

- भारत में प्रतिवर्ष लगभग 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक प्रदूषण उत्पन्न होता है।
- इसमें से 5.8 मिलियन टन अपशिष्ट का दहन कर दिया जाता है, जबकि 3.5 मिलियन टन मलबे के रूप में पर्यावरण में उत्सर्जित कर दिया जाता है।
- भारत में अपशिष्ट उत्पादन की दर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 0.12 किलोग्राम है।

वैश्विक उत्तर-दक्षिण विभाजन :

- प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन दक्षिणी एशिया, उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में सर्वाधिक है।
- ग्लोबल साउथ में भारत जैसे देश खुले में अपशिष्ट दहन पर निर्भर रहते हैं, जबकि ग्लोबल नॉर्थ नियंत्रित तंत्रों के तहत अपशिष्ट प्रबंधन करता है।

उच्च और निम्न आय वाले देशों के बीच असमानता :

- वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष 69% या 35.7 मीट्रिक टन प्लाप्र स्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन 20 देशों में होता है।
- ग्लोबल साउथ में प्लास्टिक प्रदूषण मुख्य रूप से निम्न स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन के कारण होता है, जबकि ग्लोबल नॉर्थ में यह अधिकतर अनियंत्रित मलबे से होता है।
- उच्च आय वाले देशों में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर अधिक है, लेकिन 100% अपशिष्ट संग्रहण कवरेज और नियंत्रित निपटान के कारण वे शीर्ष 90 प्रदूषकों में शामिल नहीं हैं।

अनुसंधान की आलोचना :

- **संकीर्ण फोकस :** अध्ययन में अपशिष्ट प्रबंधन पर अत्यधिक ज़ोर दिया गया तथा प्लास्टिक उत्पादन को कम करने की आवश्यकता की उपेक्षा की गई।
- **गलत प्राथमिकताएँ :** यह एकल-उपयोग प्लास्टिक को समाप्त करने जैसे समाधानों से ध्यान हटा सकता है।
- **उद्योग समर्थन :** प्लास्टिक उद्योग समूहों द्वारा समर्थन से व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्यों के बजाय उद्योग हितों के साथ तालमेल स्थापित करने की चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **व्यापक समाधानों को कमज़ोर करना :** अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करके, अध्ययन ने उत्पादन और पुनर्चक्रण संबंधी मुद्दों को हल करना और भी कठिन बना दिया है।

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नियम और पहल :

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नियम और पहल निम्नलिखित है –

1. **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 :** यह नियम प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए प्राथमिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन, और पुनर्चक्रण के लिए दिशा-निर्देश शामिल हैं।
2. **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 :** इस संशोधन ने बहुस्तरीय प्लास्टिक (MLP) के चरणबद्ध उन्मूलन की व्यवस्था की। यह उन सामग्रियों पर लागू होता है जिन्हें पुनर्चक्रित, ऊर्जा में परिवर्तित या पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों के लिए एक केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली की स्थापना की गई।
3. **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 :** इस संशोधन ने वर्ष 2022 तक एकल-उपयोग वाली विशिष्ट प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया था। इसके अंतर्गत, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण और प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पाद जिम्मेदारी (EPR) को लागू किया गया। इसके साथ ही, प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई को सितंबर 2021 तक 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और दिसंबर 2022 तक 120 माइक्रोन कर दिया गया।
4. **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 :** इस संशोधन ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में और सुधार किया, जिसमें अपशिष्ट की रोकथाम और पुनर्चक्रण की प्रथाओं को मजबूत किया गया।
5. **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 :** हाल के संशोधन ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के दिशा-निर्देशों को और भी सख्त किया, जिससे प्रदूषण नियंत्रण और प्लास्टिक के प्रभावी प्रबंधन में सुधार हुआ।

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित अन्य पहल :

- **स्वच्छ भारत मिशन :** भारत में यह राष्ट्रीय स्तर एक व्यापक स्वच्छता अभियान है, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक अपशिष्ट को नियंत्रित करना और स्वच्छता के मानकों को बढ़ावा देना है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **इंडिया प्लास्टिक पैक्ट :** यह एक पहल है जो प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने और प्लास्टिक प्रबंधन में सुधार के लिए उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है।
- **प्रोजेक्ट रिप्लान :** यह परियोजना प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और प्रबंधन पर केंद्रित है, और इसके माध्यम से अपेशिष्ट प्रबंधन की नई विधियाँ लागू की जाती हैं।
- **गोलिटर भागीदारी परियोजना :** यह एक साझेदारी परियोजना है जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है।

आगे की राह :

- **जागरूकता अभियान (Awareness Campaigns) प्रारंभ करना :** राष्ट्रीय स्तर पर कई भाषाओं में जागरूकता अभियान शुरू करने चाहिए। स्कूलों में प्लास्टिक अपशिष्ट शिक्षा को एकीकृत करना चाहिए, सामुदायिक कार्यशालाएँ आयोजित करनी चाहिए और प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली लोगों की सहायता लेनी चाहिए।
- **स्मार्ट अपशिष्ट प्रबंधन (Smart Waste Management) प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना :** अपशिष्ट प्रबंधन में स्मार्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए, जैसे IIoT-इनेबल बिन्स और AI सोर्टिंग। अवैध डंपिंग की रिपोर्टिंग और रीसाइक्लिंग केंद्रों का पता लगाने के लिए मोबाइल ऐप्स का उपयोग करना चाहिए।
- **अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश करना (Investing in waste-to-energy technologies) :** गैर-पुनर्चक्रणीय प्लास्टिक के लिए पायरोलिसिस और गैसीकरण जैसी उन्नत अपशिष्ट-से-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश करना चाहिए। एक कठोर और सख्त उत्सर्जन नियंत्रण सुनिश्चित कर अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं को संचालित करने के लिए उत्पादित ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए।
- **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) को शुरू करना :** EPR को सुदृढ़ करने के लिए श्रेणीबद्ध शुल्क, प्लास्टिक क्रेडिट ट्रेडिंग प्रणाली लागू करनी चाहिए और कूड़ा बीनने वालों की स्थिति सुधारने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र तक EPR का विस्तार करना चाहिए।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) को बढ़ावा देना :** चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए **RRR (Reduce, Reuse, Recycle – न्यूनीकरण, पुनःउपयोग और पुनर्चक्रण)** को डिज़ाइन में शामिल करना आवश्यक है। इसके तहत पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ स्थापित करनी चाहिए, पुनर्चक्रित प्लास्टिक को प्रोत्साहन देना चाहिए और उत्पादों में पुनर्चक्रित सामग्री को अनिवार्य रूप से शामिल करने योग्य बनाना चाहिए।
- **हरित खरीद (Green Procurement) मॉडल को अपनाना :** सरकारी खरीद में प्लास्टिक अपशिष्ट न्यूनीकरण मानदंड लागू करने और सरकारी भवनों को मॉडल के रूप में उपयोग करना चाहिए।

स्रोत – पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए।

1. राष्ट्रीय स्तर पर प्लास्टिक के उपयोग करने से होने वाले प्रभावों के संबंध में जागरूकता अभियान प्रारंभ करना।
2. स्मार्ट अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।
3. अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश करना।
4. चक्रीय अर्थव्यवस्था के तहत न्यूनीकरण, पुनःउपयोग और पुनर्चक्रण प्रणाली को बढ़ावा देना।

उपर्युक्त में से कौन सी प्रणाली भारत में अत्यधिक प्रदूषण को रोकने में सहायक है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. नेचर जर्नल द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण करने वाला देश है। चर्चा कीजिए कि भारत में प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएँ इस प्रदूषण को कम करने में कैसे मदद करेंगी ? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT) का बहुभाषी पोर्टल : तकनीकी संवाद का नया युग

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT) ने एक विशिष्ट वेबसाइट 'shabd.education.gov.in' लॉन्च की है।
- इस वेबसाइट का प्रमुख उद्देश्य भारत के संविधान में उल्लेखित सभी 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों तक सभी के लिए आसानी से पहुँच प्रदान करना है।
- यह पहल उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत शुरू की गई इस पहल से छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपनी मातृभाषा में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तक आसानी से पहुँच प्रदान हो सकेगी।
- इस पहल से तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान को स्थानीय भाषाओं में बेहतर तरीके से समाहित किया जा सकेगा, जो कि भारत की भाषाई विविधता और ज्ञान को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

क्या है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ?

- भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (Commission for Scientific and Technical Terminology) की स्थापना 1 अक्टूबर 1961 में की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को विकसित और परिभाषित करना है।
- इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) के तहत की गई थी।
- यह भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्रालय, के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT) का प्रमुख कार्य :

- भारत में सन 1961 ई. में स्थापित वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT) का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का विकास और देश भर में प्रसार करना है। **आयोग विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित है –**

1. **द्विभाषी और त्रिभाषी शब्दावलियों का प्रकाशन करना :** आयोग द्विभाषी और त्रिभाषी शब्दावलियों, जैसे कि अंग्रेजी-हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए शब्दावलियाँ तैयार करता है और उसे प्रकाशित करता है।
2. **मानक शब्दावली का विकास करना :** आयोग मानक शब्दावली विकसित करता है और उसके प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। यह कार्य शब्दावली की व्यापक पहचान और उपयोग को सुनिश्चित करता है।
3. **राष्ट्रीय शब्दावली को तैयार करना :** आयोग राष्ट्रीय स्तर पर शब्दावली तैयार करता है और उसका प्रकाशन करता है।
4. **क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के लिए अनुदान सहायता प्रदान करना :** भारत में यह आयोग क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के लिए ग्रंथ अकादमियों, पाठ्यपुस्तक बोर्डों और विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों को अनुदान सहायता प्रदान करता है।
5. **विद्यालय और विभागीय शब्दावलियों की पहचान और**

प्रकाशन करना : यह आयोग स्कूल और विभागीय स्तर पर आवश्यक शब्दावलियों की पहचान करता है और उनका प्रकाशन करता है।

6. **शब्दकोश और विश्वकोश तैयार करना :** परिभाषात्मक शब्दकोश और विश्वकोश तैयार करने का कार्य भी इस आयोग की ही जिम्मेदारी है।

7. **पाठ्यपुस्तकें और पत्रिकाएँ तैयार कर प्रकाशित करना :** इस आयोग द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्यपुस्तकें, मोनोआग्राफ और पत्रिकाएँ तैयार करना और उसे प्रकाशित करना है।

8. **प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित करना :** इस आयोग द्वारा गढ़े गए नए शब्दों या परिभाषित शब्दों के लिए प्रचार – प्रसार करना और आलोचनात्मक समीक्षा के लिए प्रेशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और सेमिनार आयोजित करने का कार्य भी शामिल है।

9. **राष्ट्रीय अनुवाद मिशन को शब्दावली उपलब्ध कराना :** भारत में यह आयोग राष्ट्रीय अनुवाद मिशन को आवश्यक शब्दावली उपलब्ध कराता है।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT) का बहुभाषी पोर्टल :

- वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT) का बहुभाषी पोर्टल वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों के लिए एक केंद्रीय कोष के रूप में कार्य करता है।
- इस पोर्टल में वर्तमान में 22,00,000 शब्दों के साथ 322 शब्दावलियाँ उपलब्ध हैं, और इसे 450 शब्दावलियों तक विह स्तारित करने की योजना पर कार्य चल रहा है।
- उपयोगकर्ता इस पोर्टल पर भाषा, विषय या शब्दकोश के आधार पर शब्दों की खोज कर सकते हैं और मौजूदा शब्दों पर अपनी प्रतिक्रिया भी प्रदान कर सकते हैं।
- यह पहल भारत में चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की व्यापक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इस पोर्टल का उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए पठन-पाठन सामग्री को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना है, जिससे तकनीकी शिक्षा को और अधिक सुलभ, सहज और प्रभावी बनाया जा सके, जिससे भारत में ज्ञान का प्रसार और भी सुलभ और प्रभावशाली हो सकेगा।

आयोग के समक्ष उपन्न प्रमुख चुनौतियाँ :

भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT) के समक्ष कई प्रमुख चुनौतियाँ हैं, जिनका समाधान करना आवश्यक है। ये चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

1. **भाषाई विविधता :** भारत में विभिन्न भाषाओं और बोलियों की विविधता है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली को सभी भाषाओं में समान रूप से विकसित करना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारत के विभिन्न भाषाओं में समान शब्दावली का विकास करना और उसे मानकीकृत करना अत्यंत कठिन है।

2. **शब्दावली का अद्यतन और मानकीकरण :** विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में निरंतर नवीनतम अनुसंधान और विकास के कारण, शब्दावली को नियमित रूप से अद्यतन करना आवर श्यक होता है। यह सुनिश्चित करना कि शब्दावली वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखें, एक बड़ी चुनौतीपूर्ण है। भारत में इस आयोग के समक्ष मानकीकरण की प्रक्रिया में समय और संसाधनों की कमी भी एक बड़ी बाधा है।

3. **तकनीकी शब्दों का अनुवाद :** कई तकनीकी शब्दों का सटीक अनुवाद करना मुश्किल होता है। कई बार अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में सटीक अनुवाद नहीं मिल पाता, जिससे शब्दावली का विकास बाधित होता है।

4. **प्रचार और प्रसार करना :** वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का व्यापक प्रचार और प्रसार करना आवश्यक है। हालांकि, इसे सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी विभागों और आम जनता तक पहुँचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

5. **संसाधनों की कमी :** भारत में इस आयोग के समक्ष विभिन्न भाषाओं में शब्दावली के विकास और उसके प्रचार-प्रसार के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। इसमें वित्तीय संसाधन, विशेषज्ञों की कमी और तकनीकी संसाधनों की कमी शामिल है।

6. **भारत की सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक बारीकियाँ :** विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों की स्वीकार्यता और समझ में भिन्नता हो सकती है। आयोग को शब्दावली को स्थानीय सांस्कृतिक और सामाजिक संवेदनाओं के अनुरूप बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।

7. **डिजिटल और तकनीकी विकास की गति एवं तकनीकी चुनौतियाँ :** डिजिटल युग में, शब्दावली आयोग को नई तकनीकी परिदृश्यों और डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता होती है। डिजिटल डेटा प्रबंधन, शब्दावली के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, और ऑनलाइन संसाधनों को प्रबंधित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तकनीकी विकास की गति बहुत तेज है, और नई-नई तकनीकों के साथ नए शब्द भी आते रहते हैं। इन नए शब्दों का त्वरित अनुवाद और मानकीकरण करना इस आयोग के समक्ष एक चुनौती है।

8. **सहयोग और समन्वय की कमी :** भारत में विभिन्न राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ समन्वय और सहयोग की कमी भी इस आयोग के समक्ष एक बड़ी चुनौती है, जिसमे सुधार के लिए सभी हितधारकों के बीच

बेहतर समन्वय और सहयोग आवश्यक है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग को निरंतर प्रयासरत रहना होगा और नई-नई रणनीतियाँ अपनानी होंगी।

आगे की राह :

1. **डिजिटल रूप में विस्तार करना :** बहुभाषी पोर्टल को और अधिक उपयोगकर्ता-मित्रवत बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग कर इसका और अधिक विस्तार किया जा सकता है।
2. **शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग और साझेदारी :** विभिन्न भाषा संस्थानों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ साझेदारी करके बहुभाषी पोर्टल पर शब्दावली को अद्यतित और मानकीकृत किया जा सकता है।
3. **नए विषयों का समावेश और नियमित अपडेट्स करना :** विज्ञान और तकनीक के नए क्षेत्रों में भी शब्दावली का विकास किया जाए और बहुभाषी पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए ताकि नई तकनीकी शब्दावली को भी इसमें शामिल किया जा सके।
4. **भाषा प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों को शामिल किया जाना :** बहुभाषी पोर्टल पर वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली को सही तरीके से अनुवादित करने के लिए भाषा प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए।
5. **उपयोगकर्ताओं से फीडबैक प्राप्त करना :** बहुभाषी पोर्टल उपयोगकर्ताओं से फीडबैक प्राप्त कर के पोर्टल की गुणवत्ता और उपयोगिता की पहुँच को सभी तक आसानी से और सरल तरीके से बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष :

- वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का बहुभाषी पोर्टल भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके सफल कार्यान्वयन से न केवल भारतीय भाषाओं को मान्यता मिलेगी, बल्कि विभिन्न वर्गों के लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सशक्त बनाया जा सकेगा। इस पोर्टल के माध्यम से भारतीय भाषाओं को वैश्विक ज्ञान के साथ जोड़ा जा सकता है, जो भारतीय समाज की भाषा विविधता को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसे इसके माध्यम से भाषा की बाधाओं को दूर कर उच्च शिक्षा और शोध को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया जा सकता है।

स्रोत- द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) के तहत की गई थी।
2. भारतीय संविधान के अष्टम अनुसूची में मैथिली और डोंगरी को मिलाकर कुल 24 आधिकारिक भारतीय भाषा शामिल है।
3. इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
4. बहुभाषी पोर्टल वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों के लिए एक केंद्रीय कोष के रूप में कार्य करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है ?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. केवल तीन

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. "2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रि भाषा सूत्र पर जोर दिया गया है। इसी के अनुरूप भारत सरकार ने भाषा की समस्या को दूर करने के लिए हाल ही में बहुभाषा पोर्टल लॉन्च

किया है, लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।" इस कथन को विस्तार से समझाइए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

महिलाओं में होने वाले ओवेरियन कैंसर : लक्षण, निदान और उपचार

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च, जो विश्व की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी व्यावसायिक संस्था है, ने सितंबर माह को डिंबग्रंथि (ओवेरियन) कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाने के लिए मान्यता प्रदान की है, जिसका उद्देश्य यह माह इस घातक स्त्री रोग संबंधी कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- भारत में प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और इसके शीघ्र निदान को प्रोत्साहित करना है।
- मानव जीवन के स्वास्थ्य से संबंधित इस प्रकार के जागरूकता अभियानों का मुख्य उद्देश्य लोगों को कैंसर के लक्षणों, जोखिम कारकों और उसके शीघ्र निदान एवं उपचार के महत्व के बारे में जानकारी देना है, जिससे इस रोग से ग्रसित लोगों का समय पर उपचार संभव हो सके और उसके जीवन बचाया जा सके।

ओवेरियन कैंसर क्या है ?

- डिंबग्रंथि (ओवेरियन) कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो अंडाशय (डिंबग्रंथि) के ऊतकों में उत्पन्न होता है। अंडाशय महिलाओं के जनन अंगों का एक युग्म है, जो डिंब और महिला हार्मोन का निर्माण या उत्पादन करता है। कैंसर की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शरीर की कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर का निर्माण करती हैं। अतः महिलाओं में होने वाली ओवेरियन कैंसर, कैंसर की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर की असामान्य कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से बढ़कर ट्यूमर का रूप ले लेती हैं।

भारत में ओवेरियन कैंसर की स्थिति :

- भारत में महिलाओं में होने वाले सभी प्रकार के कैंसर में ओवेरियन कैंसर का योगदान 6.6% है। यह कैंसर अक्सर विलंबित निदान की समस्या से ग्रस्त होता है, जो जीवित रहने की दर को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
- ओवेरियन कैंसर भारत में महिलाओं को प्रभावित करने वाले शीर्ष 3 कैंसरों में से एक प्रमुख कैंसर है जिसमें से अन्य दो प्रमुख कैंसर स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर हैं।
- वर्ष 2022 में इस रोग से संबंधित सांख्यिकी के अनुसार भारत में ओवेरियन कैंसर के 47,333 नए मामले सामने आए और इस बीमारी के कारण 32,978 लोगों/ रोगियों की मृत्यु हो गई थी।
- ओवेरियन कैंसर की शीघ्र पहचान और प्रभावी उपचार की आवश्यकता को दर्शाता है, ताकि इसके गंभीर प्रभावों को कम किया जा सके और इस रोग से ग्रसित रोगियों की जीवन रक्षा दर को बेहतर बनाया जा सके।

डिंबग्रंथि/ओवेरियन कैंसर के प्रमुख लक्षण :

डिंबग्रंथि कैंसर के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है –

- **पेट फूलना** : पेट में सूजन या खिंचाव महसूस होना।
- **पैल्विक (श्रोणि) दर्द होना** : श्रोणि क्षेत्र में असहजता कि स्थिति उत्पन्न होना या दर्द होना।
- **भूख न लगना** : खाने की इच्छा में कमी आ जाना।
- **बार-बार पेशाब आना** : लगातार पेशाब करने के लिए जाना।
- **अपच और कब्ज होना** : पाचन में समस्या और कब्ज की शिकायत रहना।
- **पीठ में दर्द होना** : अक्सर निचली पीठ में दर्द होना।
- **लगातार थकान महसूस करना** : सामान्य से अधिक थकावट महसूस होना।
- **वजन कम हो जाना** : बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन में कमी होना।
- **रजोनिवृत्ति के बाद योनि से रक्तस्राव** : महिलाओं की रजोनिवृत्ति के बाद भी योनि से रक्तस्राव होना। इस तरह के लक्षण अक्सर अन्य सामान्य स्थितियों के साथ मेल खाते हैं, जिससे रोग का सही निदान कठिन हो सकता है और उपचार में देरी हो सकती है।

ओवेरियन कैंसर के प्रकार :

यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं –

1. **प्रकार I** – यह सामान्यतः शीघ्र और बेहतर निदान योग्य होता है।

2. **प्रकार II** – यह अधिक गंभीर होता है और आमतौर पर बाद के चरण में पता चलता है, जिससे ओवेरियन कैंसर से होने वाली अधिकांश मौतों के लिए जिम्मेदार होता है।

जीवित रहने की दर :

- इस रोग से ग्रसित महिलाओं में यह बहुत हद तक उस चरण पर निर्भर करता है, जिस चरण में इस कैंसर का पता चलता है। शोध से पता चलता है कि गंभीर ओवेरियन कैंसर से पीड़ित लगभग 20% रोगी, जिन्हें समय पर उचित उपचार प्राप्त हो जाता है, वह लगभग 10 वर्षों में इस रोग से रोग-मुक्त हो सकते हैं।

ओवेरियन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग चुनौतियाँ :

- महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर के विपरीत, ओवेरियन कैंसर के लिए कोई प्रभावी स्क्रीनिंग टेस्ट अभी तक उपलब्ध नहीं है। निदान किए गए मामलों की मॉनिटरिंग के लिए CA125 रक्त परीक्षण उपयोगी होते हुए भी इसकी सीमित विशिष्टता और गलत सकारात्मक परिणाम की संभावना के कारण रूटीन स्क्रीनिंग के लिए इसको इस रोग के उपचार के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।

आनुवंशिक कारक :

- ओवेरियन कैंसर में एक प्रबल आनुवंशिक घटक होता है, जिसमें 65-85% आनुवंशिक मामले BRCA1 और BRCA2 जीन उत्परिवर्तन से जुड़े होते हैं। इन उत्परिवर्तनों वाली महिलाओं को ओवेरियन कैंसर होने का खतरा काफी अधिक होता है।

जीवनशैली कारक :

- टैल्कम पाउडर और केश-उत्पादों में पाए जाने वाले रसायनों के संपर्क सहित कुछ जीवनशैली विकल्पों को ओवेरियन कैंसर के संभावित जोखिम कारकों के रूप में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT), जो रजोनिवृत्ति के दौरान वासोमोटर और योनि असुविधा के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए की जाती है, से भी इस कैंसर के होने का जोखिम बढ़ जाता है।

भारत में कैंसर के उपचार से संबंधित विभिन्न सरकारी पहलें :

कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS) :

- भारत सरकार ने विभिन्न गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें कैंसर भी शामिल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कैंसर की रोकथाम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्क्रीनिंग, जाक गरूकता अभियानों, और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें तंबाकू नियंत्रण, पोषण और जीवनशैली में सुधार, और नियमित स्वास्थ्य जांच को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि कैंसर की संभावनाओं को कम किया जा सके और समय पर निदान हो सके।

राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (NCG) को अपनाना :

- राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड एक नेटवर्क है जो देशभर के कैंसर केंद्रों, अनुसंधान संस्थानों और चिकित्सा कॉलेजों को जोड़ता है। इसका उद्देश्य कैंसर के उपचार में समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। यह ग्रिड कैंसर के उपचार के लिए मानक प्रोटोकॉल विकसित करता है और अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है।

राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाना :

- भारत में प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक करना और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी देना है। इस दिन विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर और स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किए जाते हैं।

HPV वैक्सीन का उपयोग करना :

- भारत सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) वैक्सीन को शामिल किया है। यह वैक्सीन 9-14 आयु वर्ग की बालिकाओं को दी जाती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2023 में स्वदेशी HPV वैक्सीन 'CERVAVAC' लॉन्च की थी। इन पहलों के माध्यम से भारत सरकार कैंसर की रोकथाम, पहचान और उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

ओवेरियन कैंसर के जोखिमों को कम करने के प्रमुख उपाय :

- **जेनेटिक काउंसलिंग** : ओवेरियन या स्तन कैंसर से जुड़े पारिवारिक इतिहास या BRCA1/BRCA2 उत्परिवर्तन वाली महिलाओं के लिए, जो जोखिम प्रबंधन और निवारक उपायों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

- **स्वस्थ आहार शैली अपनाना** : फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार ओवेरियन कैंसर के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकता है।

- **शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम करना** : आहार और

व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ शारीरिक वजन बनाए रखना इस कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है।

- **नियमित स्त्री रोग संबंधी जाँच की आवश्यकता होना :** इस रोग का पता लगाने के लिए जनन स्वास्थ्य की निगरानी और नियमित स्त्री रोग से संबंधित जाँच की आवश्यकता होती है।
- इन उपायों को अपनाकर ओवेरियन कैंसर के जोखिम को कम किया जा सकता है और रोग के निदान एवं उपचार में सुधार किया जा सकता है।

स्रोत – द हिंदू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. महिलाओं में ओवेरियन कैंसर के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

1. ओवेरियन कैंसर की शुरुआत अक्सर पेट के नीचे के हिस्से में दर्द और सूजन से होती है।
2. ओवेरियन कैंसर की पहचान के लिए सबसे प्रभावी निदान विधि एकमात्र रक्त परीक्षण (CA-125 स्तर) है।
3. ओवेरियन कैंसर का इलाज सर्जरी और कीमोथेरपी के संयोजन से किया जा सकता है।
4. शुरुआती अवस्था में ओवेरियन कैंसर के लक्षण अक्सर कम स्पष्ट होते हैं।

उत्तर – B

व्याख्या :

- ओवेरियन कैंसर की पहचान के लिए सबसे प्रभावी निदान विधि एकमात्र रक्त परीक्षण (CA-125 स्तर) है। **यह कथन गलत है,** क्योंकि CA-125 स्तर रक्त परीक्षण ओवेरियन कैंसर का निदान करने में सहायक हो सकता है, लेकिन यह एकमात्र विधि नहीं है। ओवेरियन कैंसर की पहचान के लिए सबसे प्रभावी अन्य निदान विधियों में अल्ट्रासोनोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी (CT) स्कैन और कभी-कभी PET स्कैन भी शामिल होते हैं। **अतः विकल्प B सही उत्तर है।**

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. " महिलाओं में ओवेरियन कैंसर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है।" इस कथन के संदर्भ में, चर्चा कीजिए कि ओवेरियन कैंसर के प्रमुख लक्षण और संकेत क्या हैं? इसके निदान के लिए वर्तमान में उपलब्ध परीक्षण विधियाँ कौन-कौन सी हैं और इन परीक्षण विधियों के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS UPSC/ PCS